

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 22/7/26

विषय- कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 4,93,25,082/- (चार करोड़ तिरानवे लाख पच्चीस हजार ब्यासी रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार ₹ 4,93,25,082/- (चार करोड़ तिरानवे लाख पच्चीस हजार ब्यासी रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, बक्सर	33172	बक्सर जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का अटल कला भवन निर्माण कार्य	797/ 25.02.25	14227702 (एक करोड़ ब्यालीस लाख सताईस हजार सात सौ दो रुपये)
02.	भवन प्रमंडल, शेखपुरा	33130	शेखपुरा जिला अन्तर्गत 620 क्षमता का अटल कला भवन (ऑडिटोरियम) का निर्माण कार्य	772/ 10.02.25	35097380 (तीन करोड़ पचास लाख सतानवे हजार तीन सौ अस्सी रुपये)
कुल राशि					49325082

(चार करोड़ तिरानवे लाख पच्चीस हजार ब्यासी रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0107-सांस्कृतिक संरचना विपत्र कोड-03-4059600510107 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0107.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जायेगी।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 6818 (अ)

पटना, दिनांक:- 22/7/26

प्रतिनिधि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, संबंधित/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव